# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 78/2016** **दायरा दिनांक : 10.02.2016**

**उनवान**

पुरूषोत्तम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री नन्दलाल, जाति मालव, धाकड, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

**बनाम**

1– छोटूलाल पुत्र देवीलाल, जाति धाकड, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

2– रामनिवास पुत्र देवीशंकर, जाति धाकड, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

3– गोगा मेहर दत्तक पुत्र श्री गोपाल, जाति मेहर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

**अपील संख्या 85/2016** **दायरा दिनांक : 10.02.2016**

**उनवान**

1– गोगा मेहर आयु 60 साल दत्तक श्री गोपाल, जाति मेहर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां

2— रामनिवास पुत्र देवीशंकर, आयु 60 वर्ष, जाति धाकड, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

**बनाम**

छोटूलाल पुत्र देवीलाल, जाति धाकड, निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मदनलाल गालव एवं दूल्हे सिंह गौड
अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज व गोविन्द सिंह लक्षावत एवं
दूल्हे सिंह गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 07.02.2018**

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या — 87/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है । इस कारण इन दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 छोटूलाल ने अपीलांट पुरूषोत्तम एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बावडीखेडा, तहसील बारां में वादी के कब्जे काश्त एवं तन्हा खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 91 रकबा 0.09 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 101 रकबा 0.21 हेक्टर कुल दो किता की 0.30 हेक्टर आराजी है । वादी अत्यन्त गरीब व्यक्ति है । प्रतिवादीगण जबरन वादी के खाते की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2015 को दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है कि वे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें, इससे अप्रसन्न होकर ये दोनों अपीले पेश की गई हैं ।

अपील संख्या 78/2016 अपीलांट पुरूषोत्तम के द्वारा पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि प्रकरण जवाबदावे की स्टेज पर था । अपीलांट को अपने पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को लोक अदालत की सूचना नहीं दी गई थी इसके बावजूद अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है । दावा दायरी के दिनांक को वादी ने अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर 40–50 वर्षों से काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.01.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 85/2016 अपीलांट गोगा मेहर के द्वारा पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि पत्रावली तनकीयात हेतु नियत थी । अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था परन्तु अपीलुंट के जवाब को पत्रावली पर नहीं रखा गया और दावे को कैम्प में स्वीकार किया गया जबकि इसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । रेस्पोडेंट वादी जबरन अपीलांट की आराजी पर कब्जा करना चाहता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रकरण को केम्प में रखे जाने की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई थी इस कारण निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी । जानकारी होने पर नकल हेतु दिनांक 14.12.2015 को आवेदन किया गया । नकल प्राप्त होने पर अपील पेष की जा रही है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 85/2016 ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को केम्प की सूचना नहीं दी गई है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 78/2016 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा है जिसमें दावा दायरी के दिनांक को कब्जा सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है । वादी ने अपने कब्जे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के दिनांक को वादी का कब्जा नहीं था । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम के दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादी ही उपस्थित हुए हैं । प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन दावा वादी स्वीकार किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 78/2016 एवं 85/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा